ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
UGC APPROVAL NO. - 42652
CHETANA

Receivedon 26th Feb 2018, **Revised** on 18th Mar 2018; **Accepted** 25th Mar 2018

शोध पत्र

माध्यमिक स्तर पर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन

* डॉ0 राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग, नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ
Email: rajesh.kashi2009@gmail.com, Mo. 8340510863, 8757237867

मुख्य शब्द *– चतुर्दिक विकास, चक्षुहीन, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक कौशल आदि।*

''ज्ञानम् मनुजस्य तृतीयम नेत्रम्'' अर्थात् शिक्षा मानव का तीसरा नेत्र है जो उसके बुद्धि, बल एवं विवके को उत्कृष्टता प्रदान करती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भारतीय शिक्षा को बालकेन्द्रित माना गया है। बच्चों का सर्वागीण विकास करने में पाठ्य सहगायी क्रियाओं का अमूल्य योगदान रहा हैं। प्रस्तुत शोध पत्र स्पष्ट करता है कि बालकों के चतुर्दिक विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या योगदान है? क्या सामान्य बच्चों एवं दृष्टिबाधित बच्चों की पाठ्य सहगामी क्रियायें समान है? इन बच्चों का पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागित समान है या अन्तर परिलक्षित होता है? यह अध्ययन इस तथ्य पर बल देता है कि सामान्य बच्चों के समान दृष्टिबाधित बच्चों का पाठ्यसहगामी क्रिया में सहभागिता, अनुकूलन एवं समायोजन क्या समान रूप से होता है। अगर नही ंतो क्यों और यदि हॉ, तो वे क्षेत्र कौन–कौन से है?

दृष्टिबाधित बच्चे : वेसे बच्चे जिन्हें एक आँख या दोनो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है।

याभिः शचीर्भिवृषण पर वृज प्रान्धं

क्षोण चक्षस एतवे कृथः।

याभिर्वर्तिकां ग्रासितामपञ्चर्त ताभिरूषु

अतिभिरश्विना गतम् ।।

ऋग्वेद (1/112/8)

(सृष्टि में जो भी अपंग, अन्धे, लूले–लंगड़े, बहरे आदि है– वे समाज में कृपा के पात्र नहीं, हमें उसके साथ सहद्धयतापूर्वक मानवता का व्यवहार करना चाहिए।)

ऋग्वेद के इस कथन के साथ सामान्य शिक्षा की भाँति विकलांग शिक्षा की भी सुदीर्घ परम्परा परिलक्षित होती है। शिक्षा मानव के स्वयं जीने की, रहन–सहन की और विकास की एक पद्धति है जो विकलांगों में निहित अप्रकट शक्तियों को प्रकट कर जीवनोपयोगी बनाकर समाजोन्मुखी बनाती है। चक्षुहीन शिक्षा का सीधा उद्देश्य दृष्टिहीन बालक को अपने वातावरण से परिचित कराकर उसके उपयोग का ज्ञान कराना है। शिक्षा में मात्र पुस्तक ही ज्ञानोपलब्धि का आधार नहीं होता, अपितु शिक्षालयों के अन्य कार्यक्रम (पाठ्य सहगामी क्रियाये) का भी समान महत्व होता है। इनके आधार पर

बालकों में मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक कौशलों के साथ–साथ नेतृत्व की शक्ति का भी पूरा–पूरा विकास किया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान हालिंगवर्थ ने शैक्षिक क्रियाकलाप को एक पिरामिड के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित किया है।

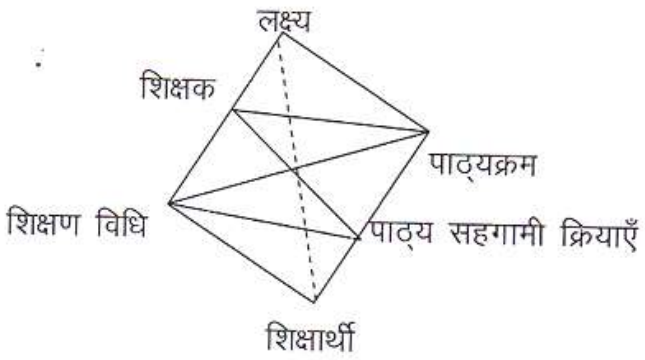

यह पिरामिड स्पष्ट करता है कि शिक्षार्थी के लक्ष्य को प्राप्त करने में पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाये अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए बदलते दौर में सामान्य बच्चों की भाँति दृष्टिबाधित बच्चों को भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर दिया जाना चाहिए।

ज्ञान–विज्ञान के आधुनिक महान क्रान्तिकारी परिवर्तनों के इस युग में मानव में जागृत जिज्ञासा, अनुसंधान प्रवृति तथा विवेकशीलता ने यह अनुभव करा दिया है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान का लक्ष्य अत्यन्त संकीर्ण अनुदारवृति है। विद्यालय का इससे भी आगे परम कर्तव्य है कि वह उदार, विशाल एवं बहुआयामी दृष्टिकोण रखते हुए पुस्तक ज्ञान के साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण एवं सर्वतोन्मुखी विकास को अपना परम अभीष्ट मानकर उसके अवसरों की उत्तम व्यवस्था करें और इन्हें अपने पाठ्यक्रम का अमिन्न अंग मानें। महात्मा गाँधी ने बुनियादी शिक्षा की नींव इसी दृष्टिकोण से रखी थी।

रसेल (1926) के अनुसार बालक के विकास का उच्चतम रूप खेल ही है क्योंकि यह स्व–क्रियात्मक है तथा अन्तः मन का वास्तविक प्रतिनिधि है और आन्तरिक आवश्यकताओं को प्रकट करने के पश्चात अंतरतम का प्रतिनिधत्व करता है। यह प्रसन्नता, स्वतंत्रता, संतोष और वाह्य जगत में शक्ति प्रदान करता हैं।

मुखर्जी (1963) के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं के परिणाम बहुत सुखद होते है। इससे छात्रों में तार्किक एवं निर्णायक बृद्धि विकसीत होती है इन क्रियाओं से तात्कालिक एकाग्रता का विकास होता है। इससे छात्र को अपने विभिन्न रूचियों को पूरा करने का मौका मिलता है और साथ ही बौद्धिक काल्पनिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार विद्यालय के पर्यवेक्षण में चलने वाली प्रवृतियाँ जिनसे विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त होते है, वे विद्यालय के अन्दर हो अथवा बाहर, पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है।

सर पर्सीनन (2001) पाठ्यक्रम में खेल व कला दोनों को महत्वपूर्ण मानते है और इनका रूझान कलाकार व खिलाड़ी के बीच तुलनात्मक आनंद की ओर अधिक है। ये कला को खेल और खेल को कला मानते है। कला की आत्मा खेल की आत्मा की भॉति स्वतः प्रवृति का आनन्दायक अभ्यास है।

सत्यनाराण (सं) के अनुसार पाठ्येत्तर क्रियाकलापों से छात्रों में अच्छी आदतों, उच्च आदर्शो और सच्चरित्रता का उद्भव और विकास होता है उस सामाजिक सामंजस्य, नागरिक प्रशिक्षण, नैतिक प्रशिक्षण, अवकाश का सदुपयोग, नेतृत्व, स्कूलहित, सक्षमंता एवं अभिरूचि अन्वेषण किशोर कालीन अमिरूचियों एवं सहज प्रवृतियों के स्वस्थ विकास के अनेक

अवसर प्राप्त होते है। इन क्रियाकलापों द्वारा आत्माभिव्यक्ति, आत्मबोध और वास्तविक शिक्षा का मार्ग खुलता है। ये कार्यकलाप छात्रों की स्वतःस्फूर्त अभिरूचियों से उत्पन होने के कारण स्कूल की पाठ्यचर्या को समृद्ध करते है और उन्हें शक्ति देते है।

समस्या का औचित्य

वर्तमान सामाजिक परिवेश में यह धारणा बलवती हुई है कि खेल–कुद, शैक्षणिक–भ्रमण, वाद–विवाद आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से उनकी अध्ययन (लिखाई–पढ़ाई) क्षमता विकसित होती है। परन्तु आश्चर्य है कि शोधकर्ता को अपने पिछले अनुभवों में कुछ ऐसे सामान्य एवं दृष्टिबाधित छात्रों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनका पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से शैक्षिक एवं व्यवहारिक स्थिति अच्छी थी। इससे शोधकर्ता को जानने की प्रेरणा मिली कि सामान्य विद्यार्थियों की भॉति दृष्टिबाधित विद्यार्थी को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना शैक्षिक एवं व्यवहारिक रूप से लाभदायक है या नहीं सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या अन्तर है? वे कौन–कौन से कारक है जो इस अन्तर को प्रभावित करते है? दो प्रकार के विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहमागिता में क्या अन्तर परिलक्षित होती है। इस अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बहुत ही अल्प मात्रा में अध्ययन हुआ है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की महता काफी बढ़ जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य

– सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता का अध्ययन करना।

– सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न आयामों मे सहभागिता का अन्तर ज्ञात करना।

परिकल्पना

– दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अपेक्षा सामान्य विद्यार्थियों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता अधिक है।

– सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विभिन्न आयामों में अन्तर है।

शोध परिसीमन

यह अध्ययन केवल वाराणसी के शहरी क्षेत्रों में किया गया है। आंशिक दृष्टिहीनता एवं पूर्ण दृष्टिहीनता को अलग नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध में सोद्देश्य प्रतिदर्शचयन विधि का प्रयोग किया गया है।

अनुसंधान प्रारूप

अध्ययन प्रविधिः– प्रस्तुत शोध में समस्या के समाधान के लिए वर्णानात्क सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्शः– सम्पूर्ण समष्टि का प्रतिनिधित्व करनेवाले वाराणसी जनपद के चार विद्यालयों के 80 विद्यार्थियों का चयन किया गया जो इस प्रकार है–

क्रमसं0	विद्यालय का नाम	छात्र	छात्रायें	योग
	जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय, सारनाथ	–	20	20
	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, दुर्गा कुण्ड, वाराणसी	20	–	20
	वेसेंट थियोसोफिकल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	20	–	20
	महामना मदन मोहन इन्टर कॉलेज, लंका,	–	20	20

	वाराणसी			
			योग	80

उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित **'पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रतिमागिता अनुसूची'** का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी प्रविधि

प्रस्तुत शोधकार्य में तथ्यों के स्पष्टीकरण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए मध्यभान, प्रामाणिक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं निष्कर्ष

(1) पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

छात्र	प्रतिदर्श का प्रकार	माध्य	मानक विद्यालय	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	46.62	6.4	0.412	
सामान्य विद्यार्थी	40	46.1	4.75		0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश दृष्टिबाधित एवं सामान्य विद्यार्थी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रूचि लेते है परन्तु उनमें से 46 प्रतिशत विद्यार्थी ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता करते है। अधिकांश सामान्य विद्यार्थी घरेलू सहायक क्रियाओं में यथा– बाजार से समान लाना, बागवानी, छोटे–भाई बहनों की देखभाल, पानी व बिजली के बिल जमा करना आदि करते है। यद्यपि सामान्य विद्यार्थी नियमित रूप से समाचार पढ़ते है परन्तु बहुत ही कम पत्र–पत्रिकाओं में लेखन कार्य करते है लेकिन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में यह विशेषता इसके विपरीत दिखाई पड़ती हैं। अधिकांश सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समय का सदुपयोग समझते हैं। अधिकतर छात्रों के माता–पिता तथा शिक्षक छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते है।

(2) शारीरिक विकास के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रिया में सहभागिता का विश्लेषण–

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मनक विचलन	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	5.37	1.47	2.807	0.05 स्तर पर
सामान्य विद्यार्थी	40	6.17	1.05		सार्थक

शारीरिक विकास के स्तर पर मध्ययानों की तुलना करने पर पाठ्य यहगामी क्रियाओं में सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता में सार्थक अन्तर परिलक्षित होता हैं। इस स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रिया में सामान्य विद्यार्थियों की सहभागिता का मध्यमान अधिक होने के कारण यह कह सकते है कि ये छात्र शारीरिक विकास के स्तर पर अधिक भाग लेते है।

(3) शैक्षणिक विकास के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मानकविचलन	मान	परिणाम

दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	8.25	1.31	5.018	0.05 सार्थकता
सामान्य विद्यार्थी	40	6.87	1.15		स्तर पर सार्थक

शैक्षणिक विकास के स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मध्यमानों की तुलना करने पर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता में सार्थक अन्तर परिलक्षित होता हैं। इस स्तर पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता का मध्यमान अधिक हैं।

(4) सौन्दर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं भावात्मक विकास के स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मानक विचलन	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	10.8	2.79	2.34	0.05 स्तर पर
सामान्य विद्यार्थी	40	9.5	2.12		सार्थक

उपरोक्त सारणि से स्पष्ट है कि सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी की सौन्दर्यात्मक, संस्कृति एवं भावात्मक विकास के स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता में अन्तर है। यद्यपि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सहभागिता का मध्यमान अधिक है। अर्थातः सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा दृष्टिबाधित बच्चे सौन्दर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं भावानात्मक विकास से संबंधित सहगामी क्रियाओं में अधिक भाग लेते है।

(5) नागरिकता के विकास के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मानक विचलन	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	6.07	1.49	2.02	0.05 स्तर पर
सामान्य विद्यार्थी	40	6.62	0.866		सार्थक

नागरिकता के विकास के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मध्यमानों की तुलना करने पर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता में अन्तर परिलक्षित होता है। लेकिन यह अन्तर अल्प मात्रा में दिखता है। इस स्तर में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अपेक्षा सामान्य विद्यार्थियों के मध्यमान का अधिक होना स्पष्ट करता है कि इनमें नागरिकता के विकास संबंधी क्रियाओं में अधिक खर्च है।

(6) हस्त एवं पेशीय कौशलों के विकास के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मानक विचलन	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	4.57	0.8		0.05 स्तर पर
सामान्य विद्यार्थी	40	4.6	1.41	0.117	पर सार्थक नहीं

हस्त एवं पेशीय कौशलों के विकास के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता में सार्थक अन्तर नहीं परिपक्षित होता हैं। कारण यह हो सकता है कि वर्तमान दौर व्यवसायिकता का है, अतएवं दोनों विद्यार्थियों में व्यवसायिक कार्यक्रम संबंधी क्रियाओं में अधिक दिलचस्पी दिखाई पड़ती है।

(7) सामूहिक चेतना, सहयोग एवं सेवा के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मानक विचलन	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	5.1	1.86	2.24	0.05 स्तर
सामान्य विद्यार्थी	40	6	1.73		पर सार्थक

सामूहिक चेतना सहयोग एवं सेवा के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की अपेक्षा सामान्य विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होना यह परिलक्षित करता है कि सामान्य बच्चे में अधिक उत्साह एवं शौर्य के साथ सहयोग की भावना उत्पन्न है जबकि दृष्टिबाधित बच्चे हीनता के शिकार है, जो कि उनमें चेतना जागृत कर सामूहिक सहयोग की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है।

(8) अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी क्रियाओं के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता –

समूह	प्रतिदर्श	माध्य	मानक विचलन	मान	परिणाम
दृष्टिबाधित विद्यार्थी	40	2.32	0.583	0.104	0.05 स्तर पर
सामान्य विद्यार्थी	40	2.3	1.09		सार्थक नहीं

अवकाश के समय का सदुपयोग को लेकर सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता में सार्थक अन्तर नहीं है। यद्यपि दृष्टिबाधित बच्चे अवकाश के समय को सदुपयोग करने में अधिक विश्वास रखते है, फिर भी सामान्य बच्चे उनसे कम है। यह उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा से परिपक्षित होती हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

आधुनिक युग में विद्यालय केवल बौद्धिक विकास का स्थल न होकर बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बालक समाज की इकाई होता है और विद्यालय में बालक का समाजीकरण होता है, क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप है। वास्तव में विद्यालय बालक के जीवन की प्रयोगशाला है। यहाँ रहकर बालक अनेक कार्यानुभवों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रभाविता तभी सम्भव है जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन में अभिभावक, शिक्षक, संस्था के अधिकारी तथा सरकार पूर्ण रूप से अपना योगदान दें।

अभिभावको के लिए सुझाव

1. बालक के समुचित विकास के लिए अभिभावकों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति प्रोत्साहन देना चाहिए।
2. छात्र–छात्राओं के लिए किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

3. केवल पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देना चाहिए, वरन् उसके सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास हेतु सुझाव देना चाहिए।
4. बालक की रूचियों में अभिभावकों को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वरन् पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।

शिक्षकों के लिए सुझाव

1. पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्रियान्वित करना एवं उचित व्यवस्था करना केवल क्रीड़ा शिक्षक का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि प्रत्यके शिक्षक को स्वयं भी पाठ्य सहगामी क्रिया में भाग लेने एवं बच्चों को प्रेरित करना चाहिए।
2. सहगामी क्रियाओं को शिक्षा का एक अंग मानते हुए उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहगामी क्रियाओं के प्रति समान रूप से रूचि जागृत करनी चाहिए।

संस्थागत अधिकारियों के लिए सुझाव

1. संस्थागत अधिकारियों को बालक के बहुमुखी विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए उचित सामग्री, आवश्यक मैदान, कुशल निर्देशक आदि का प्रबंध होना चाहिए।
2. संस्थागत अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक पर ध्यान देना चाहिए। बहुधा परिलक्षित होता है कि निम्न वर्ग के विद्यार्थी अनुचित सामाजिक पर्यावरण एवं आर्थिक असुविधा के कारण अपने को हीन समझते है।
3. वर्तमान समय की माँग के अनुसार नागरिकता की शिक्षा, सामूहिक एकता एवं नेतृत्व शक्ति का विकास करने के लिए संगठन का कार्य जैसे– छात्र संघ का आयोजन करना चाहिए।
4. मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु समय–समय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक, अभिनय, निबंध लेखन, कहानी प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन करना चाहिए।

सरकार के लिए सुझाव

1. सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना अनिवार्य कर देना चाहिए।
2. ख्यातिलब्ध खिलाड़ियों को समय–समय पर विद्यालय में बुलवाना चाहिए जिससे विद्यार्थी उनसे कुछ सीखे एवं प्रेरणा लें।
3. विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय–समय पर पुरस्कार वितरण करना चाहिए।
4. पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने वाले सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रूचि लेते हो तथा गरीब हो, उनकों छात्रवृति एवं शुल्क मुक्ति संबंधी सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव

1. प्रस्तुत अध्ययन में विद्यार्थियों से सम्बन्धित प्रयुक्त चरों के अतिरिक्त अन्य चरो–रूचि अभिक्षभता, सृजनात्मकता आदि को भी भावी शोध में सम्मिलित किया जा सकता है।
2. इस अध्ययन में सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है, लेकिन लिंग के आधार पर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है।
3. अनुसंधान के क्षेत्र व न्यादर्श को विस्तृत करके तथा अथवा देश के स्तर पर शोध किया जा सकता है जिससे प्रस्तुत शोध के परिणामों की प्रामाणिकता एवं वैधता का परीक्षण किया जा सके।

अतः समाहार रूप में कहा सकता है कि पाठ्य सहगामी क्रिया अध्ययन–अध्यापन का प्रमुख अंग है। सामान्य एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकें। पाठ्यसहगामी क्रियाओं की महता इस बात में भी है कि दृष्टिबाधित बच्चों को व्यवसायिक कार्यक्रम का प्रशिक्षण इन्हीं क्रियाओं के द्वारा दिया जाता है। अतएंव पाठ्य सहगामी क्रियाये स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण मे सहायक होती है क्योंकि इनका संबंध व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों से होता है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. कौशिक, बी.एन. (1977). **विकलांग शिक्षा सिंधु**, जयपुर : हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
2. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया (1964–66). रिपोर्ट ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन कमीशन, नई दिल्ली : मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पृ0 207.
3. जैन, प्रदीप कुमार (2001). शिक्षा एवं पाठ्य सहगामी क्रियायें, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, पृ0 12–23
4. नेल्सन, आई.के. (1953). द स्कोप ऑफ एक्स्ट्रा करिक्यूलर एक्टिविटिज, एम. एड. डिजर्टेशन, वाराणसी : बी. एच. यू.
5. रसेल, बी. (1926). ऑन एजुकेशन, लंदन : एल व एण्ड यूनियन.
6. लाल, बी. बी. (1955). एक्स्ट्रा करीक्यूलर एक्टिविटिज इन हाईस्कूल ऑफ वाराणसी, एम. एड. डिटर्जेशन, वाराणसी : बी. एच. यू.
7. हालिंगवर्थ, एच. एच. द प्लेस ऑफ सायक्लोजी, इन एजुकेशन, 13, 518
8. सत्यनारायण मोर्ट्री(सं). विश्वज्ञान संहिता, (पहली किश्त) नई दिल्ली : हिन्दी विकास समिति पृ. 592.
9. शैदा, वी. डी. एवं रघुनाथ सफाया (1978). **स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन,** जालांधर : धनपत राय एण्ड सन्स, पृ. 183.

**** Corresponding Author:***

डॉ0 राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक

शिक्षा विभाग, नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ

Email: rajesh.kashi2009@gmail.com, Mo. - 8340510863, 8757237867